



Office of the Superintendent,  
Pt. Khushilal Govt. Autonomous Ayu. Hospital & institute  
( Science Hill, Behind MANIT, Kolar Nehru Nagar Road, Bhopal 462 003 )  
Website: - www.klsgaci.nic.in Contact no. - 0755 - 2970310

S.no./Stu. Sec../2020/

Bhopal Date:-

**-:: NOTICE ::-**

As per gazette notification dated 09-11-2020 of state Government of Madhya Pradesh Ayurveda/Homeopathy/Unani/Naturaphy/Yoga entrance rules 2020 (Rule No.-7.5) students who are to take admission in under graduate course in this institute through NEET (National Eligibility Cum Entrance Test 2020) must execute the seat-leaving bond at the time of admission. The bond be duly signed by the student and parent. (Seat leaving bond format enclosed) (for reference visit:

[www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in))

(Dr. Umesh Shukla)  
Principal & C.E.O.

Pt. Khushilal Sharma Government Ayurveda  
College & Institute, Bhopal

Encl.Sr.No./Stu. Sec../2020/ 1001-02

Bhopal Date:- 21/12/20

Copy to :-

✓ Dr. Salil Jain, Website Incharge, in this institute.

Principal & C.E.O.

Pt. Khushilal Sharma Government Ayurveda  
College & Institute, Bhopal

फोटो

## सीट लीविंग बॉड

(रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे।)

मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉड का प्रारूप

- 1 - मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... मध्यप्रदेश के ..... चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
- 2 - मैंने-मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के ..... शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद/ होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2020 को भलीभांति पढ़ लिया है।
- 3 - मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।
- 4 - मैं एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
  - (1) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी/रहूँगा।
  - (2) यह कि अंतिम चरण की NEET काउंसिलिंग 2020 में बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/देता हूँ और किसी अन्य छात्रा/छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं रु. 02.00 लाख (कुल दो लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्धदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी/रहूँगा एवं अगले 03 वर्षों (तीन वर्षों) तक मुझे प्रदेश के किसी भी शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
  - (3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :- 1 .....  
2 .....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की वसूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी।

हस्ताक्षर अभिभावक

गवाह :- 1 .....  
2 .....